भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1781

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कलसा-भंडूरा पेयजल योजना की स्थिति

1781. श्री जगदीश शट्टरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कलसा-भंडूरा पेयजल योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है जिसमें हुबली-धारवाड़ और कुंडगोल शहर तथा कर्नाटक के मार्ग में पड़ने वाले अनेक गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु महादायी बेसिन से मालप्रभा नदी के विपथन हेतु 390 टीएमसी जल के आवंटन की परिकल्पना की गई है;

(ख) क्या अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों से अनुमोदन के लिए किन्हीं स्वीकृतियों की प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) माह अगस्त, 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य सूची का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। अतः ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु व्यक्तिगत परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, "कलसा-भंडूरा पेयजल योजना" के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने सूचित किया है कि कलसा योजना और भंडूरा योजना की डीपीआर क्रमशः दिनांक 23.11.2022 और 28.11.2022 को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर दोनों स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें विधि द्वारा यथा अपेक्षित अनिवार्य स्वीकृतियों के सख्त अनुपालन के अध्यधीन जल विलय और अंतर्राज्यीय पहलुओं से स्वीकार्य पाई गई हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1781 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कलसा-भांडूरा पेयजल योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति"

1. "महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण" (एमडब्ल्यूडीटी) ने दिनांक 14.08.2018 और दिनांक 27.02.2020 को राजपत्रित निर्णय सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने हुबली-धारवाड़ जुड़वां शहरों, कुंडागोल टाउन और मार्ग में आने वाले गांवों के पेयजल उद्देश्य के लिए महादयी बेसिन से मालप्रभा नदी तक डायवर्जन के लिए 3.90 टीएमसी पानी आवंटित किया, जिसमें कलसा नाला से 1.72 टीएमसी और भंडूरा नाला से 2.18 टीएमसी शामिल है।
2. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक: 29.12.2022 के तहत कलसा और भंडूरा नाला डायवर्जन योजनाओं (लिफ्ट योजनाओं) की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी, बशर्ते कानून द्वारा आवश्यक सभी अनिवार्य मंजूरी प्राप्त की जाए।
3. जल शक्ति मंत्रालय ने महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी करने के लिए दिनांक 22.05.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा महादयी प्रवाह(कल्याण और सद्भाव के लिए प्रगतिशील नदी प्राधिकरण) का गठन करने के लिए एक योजना तैयार की है।
4. एमओईएफ और सीसी से वन/वन्यजीव मंजूरी की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(क) कलसा नाला डायवर्जन योजना (लिफ्ट योजना):

i. परिवेश पोर्टल के माध्यम से एमओईएफ और सीसी को कलसा नाला डायवर्जन परियोजना के वन मंजूरी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर, जिसमें 26.925 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल है, क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, आईआरओ, एमओईएफ और सीसी, बैंगलोर ने कर्नाटक राज्य को दिनांक 20.01.2023 तक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के लिए स्थायी समिति से वन्यजीव मंजूरी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था, सरकार ने कलसा परियोजना से गुजरने वाले बाघ गलियारे के लिए नई दिल्ली की लगभग 10.685 हेक्टेयर (26.925 हेक्टेयर वन भूमि में से) की एक परियोजना शुरू की है।

ii. इसके अलावा वन्यजीव मंजूरी प्रस्ताव दिनांक 31.05.2023 को परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। कलसा वन्यजीव स्वीकृति प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और एनबीडब्ल्यूएल को इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की गई थी।

iii. इसके स्थान पर एनबीडब्ल्यूएल ने प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ गलियारा प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेज दिया और एनटीसीए द्वारा दिनांक 29.11.2023 को साइट

मूल्यांकन के लिए एक टीम का गठन किया गया। एनटीसीए की टीम ने दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तावित कलसा परियोजना का कारण स्थल मूल्यांकन किया और कर्नाटक के पक्ष में सिफारिश के साथ दिनांक 23.01.2024 को एनटीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:

> पीठ ने कहा, 'परियोजना से जुड़े बड़े लाभों (जैसे गर्मी की अवधि के दौरान वन्यजीवों को पानी की उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण) पर विचार करते हुए, समिति की राय है कि परियोजना के कार्यान्वयन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380(1)(जी) के तहत अनुशंसित किया जा सकता है।'

लेकिन, एनटीसीए ने उल्लेख किया है कि मामला न्यायाधीन है क्योंकि वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

iv. दिनांक 30.01.2024 को आयोजित एससी-एनबीडब्ल्यूएल की 77वीं बैठक में, स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ओ(1)(जी) के अनुसार प्रस्ताव पर एनटीसीए से टिप्पणियां मांगी जाएंगी। तदनुसार, प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था और दिनांक 31.07.2024 को आयोजित एससी एनबीडब्ल्यूएल बैठक के दौरान प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया गया था।

v. इसके अलावा, दिनांक 09.10.2024 को आयोजित एससी-एनबीडब्ल्यूएल की 80वीं बैठक के दौरान, स्थायी समिति ने परियोजना से संबंधित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति के साथ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। आवश्यक दस्तावेज अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग कर्नाटक द्वारा एडीजी (वन्यजीव), सदस्य सचिव एनबीडब्ल्यूएल, नई दिल्ली को पत्र दिनांक: 10.10.2024 और 15.10.2024 द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) भंडूरा नाला डायवर्जन योजना (लिफ्ट योजना):

i. भंडूरा नाला डायवर्जन परियोजना के लिए वन मंजूरी प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से एमओईएफ और सीसी को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, आईआरओ, एमओईएफ और सीसी, बैंगलोर के निर्देश के अनुसार 28.4427 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल है।

ii. क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति, आईआरओ, एमओईएफ और सीसी, बैंगलोर ने परिवेश पोर्टल (ईडीएस-क्वेरीज) के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी है: दिनांक 25.08.2024। इसके अलावा ईडीएस-प्रश्नों के लिए जानकारी/अनुपालन परिवेश पोर्टल के माध्यम से एमओईएफ और सीसी को दिनांक 26.11.2024 को प्रस्तुत किया गया था।